महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकःएफ.14( )शैक्ष.II /मदसविवि/2021/11501 दिनांकः 29.07.2021

कार्यालय–आदेश

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.07.2021 के मद संख्या–03 में लिए गए निर्णयानुसार जिन महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित/स्वीकृत सीटों से भी अधिक छात्रों को नियमित प्रवेश दिया है जो कि राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन है। इन छात्रों (स्वीकृत/आवंटित सीटों से अधिक प्रवेशित) को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देने पर, महाविद्यालयों की इस गंभीर गलती/अनियमितता का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा।

अतः छात्र हित में जिन महाविद्यालयों ने स्वीकृत/आवंटित सीटों से जिन–जिन संकायों कक्षाओं में अधिक प्रवेश दिया है, वे महाविद्यालय प्रति छात्र रू.15,000/–(रूपये पन्द्रह हजार) पैनल्टी विश्वविद्यालय में जमा कराकर सूचित करें, तदनुसार स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को केवल सत्र 2020–21 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। उक्त पैनल्टी की राशि का वहन संबंधित महाविद्यालय स्वयं करेगा, किसी भी स्थिति में यह राशि छात्रों से वसूल नहीं की जाएगी, यदि कोई महाविद्यालय उक्त पैनल्टी की वसूली छात्रों से करता है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। उक्त पैनल्टी की राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रवेशित छात्र स्वयंपाठी (नॉन–कॉलेजिएट) विद्यार्थी के रूप मे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

इस बाबत् महाविद्यालय स्टाम्प रूपये 100/– पर एक शपथ–पत्र (उक्त पैनल्टी की राशि छात्रों से नहीं वसूली गई है व सत्र 2020–21 के पश्चात भविष्य में आवंटित/स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश देने पर सम्बद्धता निरस्त)प्रस्तुत करेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

क्रमांकःएफ.14( )शैक्ष.II /मदसविवि/2021/11502-900 दिनांकः 29.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/इंचार्ज, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर
4. परीक्षा नियंत्रक, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आवंटित/स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेशित छात्रों के बारे में पैनल्टी जमा होने की शैक्षणिक अनुभाग–II से जानकारी/समन्वय कर तदनुसार ही उक्त अधिक प्रवेशित छात्रों की नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें।
5. सहायक कुलसचिव शैक्ष–II, पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुार पैनल्टी की पूरी राशि व शपथ–पत्र लेकर समुचित जॉच कर परीक्षा में नियमित परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित करने योग्य छात्रों की सूची भेजे व गत वर्षों में किसी महाविद्यालय के इस प्रकार (स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश) के विवादित मामलों (यदि कोई हो) में उक्तानुसार कार्यवाही करें।
6. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. निजी सचिव–कुलपति, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. निजी सहायक–कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।

उप कुलसचिव (शैक्ष–II)